"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2016—पौष 2, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-1/2015/1/5.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा वर्ष 2016 के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट 1881 (1881 का क्र. 26) के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक अवकाश की अनुसूची में क्रमांक 14 पर एवं सामान्य अवकाश की सूची (अ) में क्रमांक 18 पर "ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)" हेतु मंगलवार दिनांक 13 दिसंबर, 2016 को अवकाश घोषित किया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

2. भारत सरकार के आदेश क्रमांक F 12/18/2016-JCA2 दि. 07-12-16 के द्वारा "ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)" के पर्व हेतु दिनांक 13 दिसंबर, 2016 के स्थान पर दिनांक 12 दिसंबर, 2016 को अवकाश की घोषणा की गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा मंगलवार दिनांक 13 दिसंबर, 2016 के स्थान पर सोमवार दिनांक 12 दिसंबर, 2016 को "ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)" पर्व के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी.सिंह, सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-26/2013/धर्मस्व/छ:.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ धार्मिक एवं धर्मस्व प्रयोजन हेतु की जाने वाली अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

(1) ये नियम "धार्मिक एवं धर्मस्व प्रयोजन हेतु अनुदान नियम 2016" कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

(3) **परिभाषाएं—** इस नियम में जब तक सदंर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
- (क) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य,
- (ख) "विभाग" से अभिप्रेत है धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग,
- (ग) "सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग,
- (घ) "कलेक्टर", से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (1959 का क्रमांक 20) के अंतर्गत कलेक्टर,
- (ड.) "मंत्री" से अभिप्रेत है विभाग के भारसाधक मंत्री
- (च) "प्राचीन मंदिर" से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग (पुरातत्व संचालनालय) से परामर्श अनुसार प्राचीन मंदिरों की मान्य परिभाषा.

(4) **उद्देश्य—** राज्य में स्थित शासकीय/अशासकीय मंदिरों, प्राचीन मंदिरों, देवस्थलों, मठों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं रखरखाव, धार्मिक स्थलों एवं मेलों में जनसुविधाओं का निर्माण तथा विकास हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराना.

(5) **अनुदान स्वीकृति की शर्तें—** अनुदान सहायता हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी :—
- (क) विभाग शासकीय/अशासकीय मंदिरों, देवस्थलों, मठों आदि के जीर्णोद्धार एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करायेगा.
- (ख) विभाग प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करायेगा. प्राचीन मंदिरों के अंतर्गत उन्हीं मंदिरों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें संस्कृति विभाग (पुरातत्व संचालनालय) से परामर्श अनुसार प्राचीन मंदिरों की मान्य परिभाषा के अनुरूप प्राचीन मंदिर की श्रेणी में रखा जायेगा.

(6) **अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया—**
- (i) अनुदान सहायता संबंधी प्रस्ताव संस्था/जिला कलेक्टरों के माध्यम से शासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन सहित प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होनी चाहिए.
- (ii) मंदिरों तथा धर्मशालाओं आदि के निर्माण हेतु अनुदान सहायता देने का मुख्य उद्देश्य जनहित एवं सार्वजनिक हित के कार्य के लिये सहायता है.
- (iii) इस नियम के अधीन सिर्फ अनावर्ती अनुदान ही स्वीकृत किये जावेंगे.

(iv) रुपये 5.00 लाख की सीमा तक अनुदान सहायता स्वीकृत करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा.

(v) रुपये 5.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव बजट में नवीन मद के रूप में शामिल होने पर वित्त विभाग की सहमति पश्चात् स्वीकृत किये जायेंगे.

(7) **अनुदान हेतु निर्हताएं—** संस्था को देय अनुदान सहायता निम्नांकित आधारों पर समाप्त हो जायेगी तथा इन उपबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा :—

1. अनुदान सहायता राशि का दुरुपयोग, पुनर्विनियोजन, गबन, धोखाधड़ी एवं जालसाजी होने अथवा/एवं करने अथवा/एवं कराने पर.

2. शासन एवं/अथवा अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की अवज्ञा करने पर.

3. इन नियमों के अंतर्गत अन्य किसी शर्त या प्रावधान का उल्लंघन होने पर.

4. काली सूची में दर्ज होने पर.

5. संस्था प्रबंधन के असामाजिक/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर परंतु यह भी कि किसी ऐसी कार्यवाही के पूर्व संबंधित संस्था को सुनवाई का समुचित अवसर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जावेगा.

(8) **अनुदान का स्थगन एवं वसूली :—** शासन द्वारा निम्नांकित स्थिति या स्थितियों में किसी भी समय संस्था को प्रदत्त अनुदान सहायता की यथास्थिति, समग्र या शेष राशि का भुगतान रोका जा सकेगा अथवा/एवं प्रदत्त राशि को समग्र या संगणना अनुसार भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा :—

(i) अनुदान सहायता राशि का दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच उपरांत.

(ii) अनुदान सहायता राशि को समग्र या आंशिक रूप से स्वीकृत उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्य पर व्यय करने पर.

(iii) अनुदान के समुचित राशि के आहरण/उपयोग का दायित्व जिला कलेक्टरों का होगा.

(9) **संस्था का लेखा परीक्षण :—** संस्थाओं का लेखा परीक्षण स्थानीय निधि संपरीक्षा/महालेखाकार द्वारा किया जा सकेगा. अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति अनिवार्यत: समक्ष अधिकारी एवं जिला अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा.

(10) **व्याख्या/संशोधन :—** इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा की गई व्याख्या अंतिम मानी जाएगी तथा ऐसे मामले जो नियमों में समाहित नहीं है, का निराकरण प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग की सहमति से कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नर्रे, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-79/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी

आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूर्वा शर्मा	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
2.	देवश्री पंसारी	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-79/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय)

(राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (अंग्रेजी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इन्द्राणी बोरकर	अंग्रेजी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
2.	अनिल मांझी	अंग्रेजी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-79/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (भौतिकी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रामकुमार गुप्ता	भौतिकी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
2.	रेशम कुमार डहरिया	भौतिकी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
3.	चित्रकांत बेलोधिया (Belodhiya)	भौतिकी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
4.	टोकेश्वर कुमार देवांगन	भौतिकी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-79/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (गणित) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवीन कुमार झा	गणित	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	विकास कुमार मिश्रा	गणित	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
3.	प्रदीप कुमार डडसेना	गणित	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर.
4.	विनय कुमार मसियारे	गणित	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
5.	नोहर कुमार धीवर	गणित	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
6.	हेमलता भार	गणित	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता, (फार्मेसी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खोमेन्द्र कुमार सार्वा	फार्मेसी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
2.	धनेश्वर उरांव	फार्मेसी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता, (गणित) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	चयनित व्याख्याता का नाम (2)	विषय (3)	पदस्थापना का स्थान (4)
1.	अपूर्व कुमार दास	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
2.	मदन कुमार पटेल	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
3.	टोमन लाल देवांगन	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
4.	राहुल कुमार	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
5.	निधि शर्मा	गणित	शास. सह शिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर
6.	अरूण कुमार	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
7.	विपिन कुमार सिंह	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
8.	अरूणेश आत्मपूज्य	गणित	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
9.	नंदिता गुप्ता	गणित	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
10.	प्रवीण कुमार साहू	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
11.	चितरंजन लाल	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
12.	ज्योति सोनी	गणित	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अतः जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता, (भौतिकी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	चयनित व्याख्याता का नाम (2)	विषय (3)	पदस्थापना का स्थान (4)
1.	सोनू वर्मा	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
2.	मोरध्वज सिंह ठाकुर	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद
3.	सुनील कुमार सिंह	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अरूण कुमार देवांगन	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
5.	उमेश कुमार सिन्हा	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
6.	संजय कुमार साव	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
7.	डोमेश्वर राम	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
8.	मेन प्रकाश साहू	भौतिकी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
9.	कृपा राम साहू	भौतिकी	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
10.	भारत कुमार	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
11.	कुलेश्वर चौरे	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
12.	हेमंत कुमार वर्मा	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
13.	संदीप कुमार सोनी	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
14.	श्रद्धा साहू	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
15.	मनोरमा साहू	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
16.	शैलराज	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
17.	केदार सिदार	भौतिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता, (अंग्रेजी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रिजवाना खातून	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
2.	हरनीत कौर भाटिया	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
3.	प्रियंका मिश्रा	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
4.	आरती चौबे	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
5.	सोनालिका सिंह	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
6.	सुभम बैनर्जी	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
7.	दीपक कुमार साहू	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
8.	राखी जंघेल	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
9.	रामकुमार राकेश	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
10.	लक्ष्मीकांत कराल	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
11.	सीमा दिल्लीवार	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
12.	रोहित कुमार साहू	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
13.	प्रवीण किन्डो	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा
14.	धनेन्द्र कुमार ढीढी	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
15.	अंकिता भोई	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
16.	आम्रपाली धमगया	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
17.	रमेश कुमार लहरे	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-79/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (रसायन) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम (2)	विषय (3)	पदस्थापना का स्थान (4)
1.	युनूस रजा बेग	रसायन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	मनेश (Manesh) कुमार मंडावी	रसायन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
3.	शशिबाला किन्डो	रसायन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता, (अंग्रेजी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दीपक कुमार वर्मा	अंग्रेजी	शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली
2.	दीक्षा तिवारी	अंग्रेजी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर

समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक कर्मशाला अधीक्षक, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	चयनित उम्मीदवार का नाम (2)	प्रस्तावित पदस्थापना (3)
1.	भूपेश साहू	शासकीय सह शिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
2.	रोशन लाल कैवर्त	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
3.	अभिषेक शुक्ला	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
4.	कैलाश नारायण गुप्ता	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
5.	योगेश सलेचा	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
6.	हितेश कुमार देवांगन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
7.	देवराज पटेल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
8.	सालिक राम ढीमर	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा

(1)	(2)	(3)
9.	ललित कुमार साहू	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद
10.	विवेक अग्रवाल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
11.	प्रकाश विभोर बघेल	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा
12.	गौरी शंकर खाण्डे	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
13.	नवन किशोर पटेल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
14.	जितेन्द्र सिंह लहरे	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
15.	दीपक ध्रुव	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
16.	पूजा आदित्य	शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 1/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली प.ह.नं. 14	16.65	कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 02/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पथर्रा प.ह.नं. 20	9.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजनांतर्गत पीपरतराई माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरारी प.ह.नं. 20	3.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजनांतर्गत भरारी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्रमांक 25/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लाखासार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1188	0.150
	1812/1	0.134
	1810/1	0.036
योग	3	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विन्ध्यासर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्रमांक 36/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खुरदूर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.281 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16	0.081
	17	0.040
	39/3	0.012
	39/4	0.012
	47/1	0.048
	108/2	0.020
	108/3	0.020
	108/1	0.032
	108/4	0.012
	108/5	0.004
योग	10	0.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 38/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लाखासागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2881	0.089
योग	1	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लाखासागर एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 35/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खुरदूर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.128 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/2	0.081
12	0.134
31	0.061
32/2	0.061
39/1	0.085
39/3	0.045
57/1क	0.105
57/1ख	0.085
71	0.016
57/2ग	0.020

(1)	(2)
57/3	0.040
57/5	0.028
59/1	0.101
59/5	0.024
72	0.065
73	0.012
74	0.061
75/3	0.020
127/1	0.085
127/3	0.004
129/2	0.012
129/3	0.089
130	0.016
131	0.057
147	0.053
148	0.093
151/1	0.040
186	0.016
217/1	0.308
190/2	0.024
191/1	0.089
191/2	0.093
192/2	0.020
193/1	0.053
193/2	0.008
218/1	0.008
220/2	0.016
योग 37	2.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कलमीटार माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 37/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.548 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1046	0.053
1049/1	0.040
1049/2	0.121
1050	0.056
1068/2	0.093
1051/2	0.004
1052	0.061
1053	0.263
1068/1	0.065
1071/8	0.150
1068/3, 1071/3	0.348
1129/1	0.008
1135	0.101
1148	0.081
1136	0.077
1137	0.093
1138	0.040
1151	0.162
1152	0.065
1165	0.073
1166	0.049
1051/3	0.076
1167	0.061
1078/1, 1079/2	0.105
1076	0.186
1177	0.044
1074	0.073
योग 29	2.548

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत पीपरतराई माईनर नहर निमाण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 39/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.083 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	959/1, 959/3	0.061
	959/2	0.061
	960/3	0.057
	983/1	0.291
	962, 963	0.120
	964	0.097
	976	0.162
	978, 979	0.162
	983/2, 985	0.072
योग	13	1.083

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कलमीटार माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 40/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कलारतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	669	0.036
	670/2	0.020
	724	0.036
	720, 721	0.069
योग	5	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 52/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.274 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	790/4	0.040
	1543	0.040
	1784	0.032
	768/2	0.040
	783	0.154
	1544	0.093
	1547	0.121
	1552/1	0.170
	1809	0.032
	1814/1	0.057
	1817	0.121
	1813/3	0.146
	1818/2	0.049
	1804, 1805	0.061
	1801	0.049
	1819/2	0.040
	1554/2	0.049
योग	18	1.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मझवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.461 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	176/2	0.069
	182/2	0.077
	181	0.024
	189	0.016
	192/1	0.146
	192/2	0.020
	188/5	0.040
	182/1	0.069
योग	8	0.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मझवानी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्रमांक 4/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतखण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.350 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162/2	0.364
178	0.097
181/2	0.101
179	0.097
181/3	0.089
310/2	0.267
303/1	0.218
205/6	0.162
181/5	0.170
182	0.170
186/2	0.113
189	0.045
190	0.162
192	0.097
327	0.125
194	0.142
311/1	0.470
309/8	0.040
309/9	0.049
325	0.162
309/6	0.024
309/7	0.024
180	0.162
योग 23	3.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बरर डिस्ट्रीब्युटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्रमांक 5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बरर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.491 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19	0.061
23/1	1.012
27/1	0.243
29/2	0.081
89	0.061
90	0.121
91	0.061
224	0.061
237	0.607
242	0.405
244	0.121
222/2, 225/1	0.283
219/1ग	0.121
226/3	0.162
219/1ख	0.121
226/2	0.121
258	0.445
217/4	0.364
259	0.040
योग 20	4.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्रमांक 59/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.406 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
649	0.061
775/1	0.016
773	0.061
774	0.166
750/2	0.158
783	0.134
770	0.040
784	0.073
787/1	0.049
788	0.142
789	0.089
897, 898	0.166
765	0.117
761/9, 764/1, 763/1	0.117
761/8, 762, 763/2	0.109
792/1	0.069
760	0.113
761/7	0.049
725	0.049
1172	0.077
1173	0.093
1174	0.085
1176	0.040
1252	0.170
1175	0.040
1251	0.024
1250	0.129
1249	0.069
1207	0.040
1208	0.134
1210	0.081
1209	0.049
1204	0.097
1203/2	0.040
1201	0.040
1212	0.065
1203/1	0.105
1216	0.012
1710	0.012
1712	0.012
1711	0.158
1721	0.049
1734/4	0.105
726, 727/1	0.583
728/2	0.129
792/2	0.166
1772/4	0.012
757	0.065
755/1	0.065
755/2	0.097
750/9	0.093
750/1	0.154
751	0.263
894	0.049
895	0.081
899	0.146
900/2	0.186
1171	0.129
1722	0.101
1717	0.121
1718	0.069
1735	0.065
1766	0.061
1716	0.077
1731/4	0.036
1731/1	0.081
1736	0.202
1731/3	0.190
1765	0.061
1783	0.174

(1)	(2)
1769	0.150
1778	0.065
1779	0.154
1767/2	0.077
योग 80	7.406

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1143/20/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोसंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.824 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.136
25/2	0.064
5/1	0.040
5/3	0.036
27/1	0.231
242	0.004
108/1	0.004
40/4	0.085
90	0.004
108/2	0.012
211	0.004
224	0.009
227	0.041
316	0.032
278/2	0.036
271/2	0.052
279	0.028
305	0.024
310/2	0.080
329/1	0.016
408/1	0.105
424/1	0.020
470/1	0.180
474	0.048
479	0.081
2	0.040
88/3	0.103
106/3	0.024
25/8	0.064
241	0.065
246/1	0.004
109/1	0.053
106/1	0.012
92	0.170
109/2	0.052
217	0.012
225	0.036
228/1	0.042
317	0.061
270	0.021
272/2	0.048
307	0.024
306/1	0.024
315	0.041
329/2	0.020
408/2	0.032
424/2	0.024
470/2	0.101
868/1	0.062
6/5	0.012
106/28	0.040

(1)	(2)
5/2	0.049
42/1	0.028
246/2	0.049
34/2	0.089
37	0.053
88/2	0.084
93	0.028
168	0.012
218	0.049
421	0.113
228/2	0.042
245	0.041
271/1	0.066
271/3	0.041
304/1	0.022
306/2	0.024
327	0.020
336	0.004
408/3	0.061
424/3	0.020
471	0.020
868/2	0.062
3	0.089
4	0.057
106/4	0.012
26	0.077
27/2	0.089
35/2	0.081
38	0.057
88/5	0.096
94	0.024
210	0.089
229	0.033
226/1	0.004
244	0.057
267	0.048
309	0.020
272/1	0.048
304/2	0.012
310/1	0.016
328	0.004
337	0.020
420	0.032
426	0.069
470/3	0.064
877/14	0.169
योग 97	4.824

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्दनई व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1145/21/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोरता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.487 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
25	0.062
27	0.056
452/4	0.029
29/3	0.004
28/2	0.024
94/1	0.048
899	0.008
115	0.137
460/2	0.006
459	0.088
451/1	0.017
448/1	0.010
448/4	0.010

(1)	(2)
568/1	0.060
564/1	0.024
965	0.028
895	0.124
895/2	0.012
902/1	0.020
963/3	0.064
963/1	0.057
962/2	0.023
23	0.012
29/1	0.020
29/2	0.006
446/3	0.030
28/3	0.016
94/2	0.024
898	0.130
112	0.038
469/8	0.008
427/1	0.140
450/2	0.026
448/2	0.010
435/1	0.004
578	0.017
564/2	0.024
565/2	0.012
890/1013/2	0.045
889/1	0.046
890/1013/1	0.016
964/3	0.036
964/1	0.018
961	0.024
24	0.024
446/4	0.081
446/2	0.070
452/3	0.028
28/4	0.016
94/6	0.030
99	0.133
114/1	0.022
469/9	0.028
428	0.009
448/5	0.010
567	0.036
442	0.101
566	0.043
565/1	0.029
581/2	0.026
892/2	0.093
895/1	0.081
1006/1	0.080
963/2	0.025
962/1	0.046
959	0.041
26	0.118
452/1	0.029
452/2	0.029
28/1	0.016
28/5	0.020
97	0.205
106	0.162
113/3	0.032
461/2	0.038
450/1	0.026
449/1	0.032
448/3	0.010
561	0.093
563/1	0.016
581/3	0.033
892/1	0.018
893/2	0.016
901	0.021
1006/2	0.048
964/2	0.017
958	0.013
योग 87	3.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्दनई व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1147/02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोसंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	480	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्दनई व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1149/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.538 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	171	0.020
	14/3	0.093
	161/1	0.134
	14/4	0.121
	160/2	0.016
	144/1	0.154
योग	6	0.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नकटीनाला व्यपवर्तन योजना के वियर मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1151/08/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जूना लखनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.487 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17	0.021
346/19	0.012
346/4	0.012
341/3	0.008
324	0.069
379/4	0.014
398	0.008
16	0.014
346/13	0.001

(1)	(2)
346/5	0.015
341/6	0.016
327	0.035
393/1	0.008
15/5	0.056
346/14	0.001
341/1	0.016
332	0.014
328	0.010
393/2	0.045
346/1	0.003
346/17	0.006
341/2	0.012
331	0.013
370/2	0.019
397	0.014
योग 25	0.487

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्दनई व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1153/14/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कठमुण्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.996 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
787	0.081
807/3	0.041
818	0.049
768	0.081
771	0.097
786	0.004
807/2	0.008
819	0.052
757/2	0.008
785/2	0.057
809	0.089
762	0.049
769	0.024
806	0.032
811/1	0.202
763	0.041
770	0.081
योग 17	0.996

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नकटीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी
(रायपुर विकास प्राधिकरण)

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2016

क्रमांक 3733/यो.शा./वि.प्रा./2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) क्षेत्र के लिए यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 16-07-2010 को प्रकाशित किया गया है.

उक्त नगर विकास स्कीम नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख दिनांक 16-07-2010 से प्रवर्तित हो चुकी है, उक्त योजना में शामिल भूमियों में से निम्नानुसार भूमियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Civil Appeal No. 5769-5770 of 2015 [Arising out of SLP (c) Nos. 30942-30943 of 2014] & Civil Appeal No. 5771-5775 of 2015 [Arising out of SLP (c) Nos. 30049-30053 of 2014] पर दिनांक 29-07-2015 के निर्णयानुसार नगर विकास योजना क्रमांक 04 (कमल विहार) हेतु अधिग्रहण से मुक्त की जाती है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

खसरों का विवरण निम्नानुसार है :—

ग्राम टिकरापारा ख. नं. 567/1, 568/2, 568/3, 568/5, 681, 567/3, 568/1, 568/4, 571/1, 572/1, 572/2, 572/3, 573/11, 577/2, 577/3, 578/1, 578/2, 578/3, 585/2, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6.

ग्राम डूण्डा ख. नं. 151/19, 151/20, 151/21.

ग्राम डूमरतराई ख. नं. 311/18, 308/1, 310/1, 311/18, 308/7, 311/19, 308/6, 308/12, 309/2, 346/6, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13, 346/7, 346/8, 348/2, 341/8, 347/2, 346/20, 346/5, 346/14.

No. 3733/यो.शा./वि.प्रा./2016.—As per order passed by Hon'ble Supreme Court on 29-07-2015 under Civil Appeal No. 5769-5770 of 2015 [Arising out of SLP (c) Nos. 30942-30943 of 2014] & Civil Appeal No. 5771-5775 [Arising out of SLP (c) Nos. 30049-30053 of 2014] following lands are excluded from the acquisition under Town Development Scheme No. 04 (Kamal Vihar).

Details of Village and Khasra No. as under —

Village Tikrapara Kh. No. 567/1, 568/2, 568/3, 568/5, 681, 567/3, 568/1, 568/4, 571/1, 572/1, 572/2, 572/3, 573/11, 577/2, 577/3, 578/1, 578/2, 578/3, 585/2, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6.

Village Dunda Kh. No. 151/19, 151/20, 151/21.

Village Dumartarai Kh. No. 311/18, 308/1, 310/1, 311/18, 308/7, 311/19, 308/6, 308/12, 309/2, 346/6, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13, 346/7, 346/8, 348/2, 341/8, 347/2, 346/20, 346/5, 346/14.

संजय श्रीवास्तव,
अध्यक्ष.